

सं. 402/92/2006-एमसी (2007 का 46)

भारत सरकार/वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 31st अक्टूबर 2007

प्रेस विज्ञप्ति

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर/अनुषंगी लाभ कर विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2007 तक बढ़ा दी है, जो इस प्रकार है:-

इलेक्ट्रॉनिक विवरणी (कंपनियां और फर्म जिन्हें धारा 44एबी के तहत कर लेखा परीक्षा की आवश्यकता है) के लिए 15 नवंबर 2007 तक; तथा

कागजी विवरणी (इलेक्ट्रॉनिक विवरणी दाखिल करने के लिए आवश्यक लोगों को छोड़कर) के लिए 2 नवंबर 2007 तक।

XXXX